ग्राम पंचायत पूबोवाल , विकास खण्ड हरोली , जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पूबोवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव रहे।

प्रधान :-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती सरिता देवी	1-04-2015 से 22-01-2016
2	श्री सन्तोष कुमार	23-01-2016 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री लखवीर सिंह	1-04-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्रमसं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.70
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	22.01
3	7	तालाब नीलामी की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	3.43
4	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व	8.47

		अन्य सामान का क्रय करना	
5	9	उचित बिलों के बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.05
6	10	क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होना	11.12

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 2-07-2018 से 5-07-2018 तक ग्राम पंचायत पूबोवाल में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है ।

आय:- 03/16, 04/16 व 12/17

व्यय:- 07/15, 03/17व 08/17

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या –179 दिनांक 5-07-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पूबोवाल से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बैंक पूबोवाल के बैंक ड्राफ्ट संख्या 445313 दिनांक 5-07-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है ।

4 (क) वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –क** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1540337.45	4712723.25	128333	6381393.70	4362829.7	2018564
2016-17	2018564.00	5239461	105856	7363881.00	3306827	4057054
2017-18	4057054.00	3860994	149814	8067862.00	4487919	3579943

(i) स्वयं स्त्रोत्र :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा **परिशिष्ट –क-1** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1037596	365747	126440	1529783	437064	1092719
2016-17	1092719	42875	104058	1239652	117610	1122042
2017-18	1122042	62345	145215	1329602	37317	1292285

(ii) अनुदान :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट -क- 2** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	471158	3035980	0	3507138	2644056	863082
2016-17	863082	2956946	0	3820028	977077	2842951
2017-18	2842951	2129672	0	4972623	2771625	2200998

iii) आई ० ए० वाई ० :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क - 3** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	7817	150000	1192	159009	112500	46509
2016-17	46509	102500	1141	150150	75000	75150
2017-18	75150	200500	3916	279566	210500	69066

iv) आई ० डब्लयू ० एम ० पी ०:-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क- 4** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	7976.45	47280.25	66	55322.7	55322.7	0
2016-17	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0

v) आई ० डब्लयू ० एम ० पी अंशदान :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी० अंशदान की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 5** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	15621	0	633	16254	0	16254
2016-17	16254	0	657	16911	0	16911
2017-18	16911	0	683	17594	0	17594

vi) मनरेगा :-

ग्राम पंचायत पूबोवाल के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क – 6** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	169	1113716	2	1113887	1113887	0
2016-17	0	2137140	0	2137140	2137140	0
2017-18	0	1468477	0	1468477	1468477	0

अन्त शेष का विवरण :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-201 8 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	**निधि का नाम**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष**	**बैंक में जमा शेष राशि**
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	पी० एन० बी० पूबोवाल	7974000100000590	3493283	188703.19
		के० सी० सी० सी० बी० पूबोवाल	20048031343		3304579.50
2	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० सी० बी० पूबोवाल	20048032223	69066	69066
3	आई० डब्लयू० एम० पी०	पी.एन.बी. पूबोवाल	7974000100000500	0	0
4	आई० डब्लयू० एम० पी० अंशदान	के० सी० सी० सी० बी० पूबोवाल	20048066795	17594	17594
5	मनरेगा	पी.एन.बी. कुंगरत	1181000100065260	0	0
			योग	**3579943**	3579942.66 **Say=3579943**

(ख) बैंक समाधान विवरणीका प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ग) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने के उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष , दैनिक आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में भी आरम्भिक शेष ,आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त का आरम्भिक शेष ,आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं कर ती है ।अतःरोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष ,आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में रोकड़ बहियों में नियमानुसार दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष ,आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए ।

(घ) नियम विरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है । परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग –

अलग पांच रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है । अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर पांच रोकड़ बहियों का रख रखाव करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.70 लाख वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-201 8 तक पंचायत राजस्व ₹70000 वसूली हेतु शेष था जिसका विवरण **परिशिष्ट –ख** पर भी दिया गया है।

(क) गृहकर :-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	10520	10640	21160	20	21140
2016-17	21140	10820	31960	0	31960
2017-18	31960	11040	43000	0	43000

(ख) मोबाईल टावर :-

i) एयरटेल

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	2500	2500	0	2500
2016-17	2500	2500	5000	0	5000
2017-18	5000	2500	7500	0	7500

ii) भारत संचार निगम लिमिटेड

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	12000	2500	14500	0	14500
2016-17	14500	2500	17000	0	17000
2017-18	17000	2500	19500	0	19500

क्रम संख्या i) व (ii) का कुल योग(7500+19500) = 27000

क्रम संख्या (क) व (ख) का कुल योग(43000+27000) = 70000

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर व मोबाईल टावर फीस के रूप में पंचायत राजस्व ₹70000 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ।

6 अनुदान ₹22.01 लाख का उपयोग न करना-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट -क – 2** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹2200998 उपयोग हेतु शेष थी ।ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा ।अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए।

7 मछली के तालाब की नीलामी की ₹3.43 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा दिनांक 8-07-2013 को रामसर तालाब की नीलामी मछली पालन हेतु अवधि 1-04-13 से 31-03-18 तक खुली बोली द्वारा की गई, जिसका ठेका श्री मंगत राम सुपुत्र श्री लाल चंद गांव पूबोवाल को ₹1370000 में दिया गया। दिनांक 31-03-18 तक उक्त ठेकेदार से निम्नविवरणानुसार ₹1027500 की वसूली की गई है व ₹342500 बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः उक्त शेष बची ठेका राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ठेकेदार श्री मंगत राम सुपुत्र श्री लाल चंद गांव पूबोवाल से शेष बची ठेका ₹342500 की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	दिनांक	रसीद संख्या	वसूली गई राशि
1	9-07-13	618008	342500
2	26-03-15	616884	342500
3	23-03-16	618819	342500
		योग	**1027500**

(i) ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा रामसर तालाब की नीलामी अवधि 1-04-13 से 31-03-18 तक खुली बोली द्वारा बिना किसी प्रचार एवं प्रसार से की गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नीलामी करने से पूर्व विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके।

(ii) बोली से पूर्व किसी भी ठेकेदार से धरोहर राशि प्राप्त नहीं की गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सभी बोलीदाताओं से धरोहर राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) उच्चतम बोलीदाता श्री मंगत राम से ठेका राशि हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सफल बोलीदाता से अनुबंध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) सफल बोलीदाता से प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सफल वोलीदाता से नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹8.47 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया की परिशिष्ट- ग में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹846815 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण कि ये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 उचित बिलों के बिना ₹2.05 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट -घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹205400 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल साधारण कागज पर बिल तैयार कर भुगतान किया गया है । अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹205400 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित

आपूर्तिकर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए ।

10 क्रय सामग्री ₹11.12 लाख स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट -ड.**पर दिए गए विवरणानुसार ₹1111855 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टीयाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है । स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । अतः वांछित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा की मापन इकाई न दर्शाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित इकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) में" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर

की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 स्त्रोत पर कर कीकटौती न करना :-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति , संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए ।

13 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

14 नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था । जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से

वांछित होना पड़ा। अतः इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है । अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाए।

15 स्टोर/स्टॉक का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी ।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव ।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

16 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके । सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी ।

(i) ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है । अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं । कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)

9	डाक रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है :-

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत पूबोवाल द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

19 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

20 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टसियमानुसार न रखा जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप " 4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम

पंचायत पूबोवाल द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

22 लघु आपति विवरणिका- यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

23 निष्कर्ष :लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 40/2018 खण्ड–1–6216–6219 दिनांक–19.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत पूवोवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881